न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौथ का बरवाड़ा

मु0न0:—60 / 2024 तारीख रजू:—29.11.2024

जी.सी.एम.एस. नंबर:—2024 / 158

पीठासीन अधिकारी :—जोगेन्द्र सिंह (आर.ए.एस.)

1. उर्मिला पुत्री रामनारायण पत्नि सुन्दरलाल रेगर निवासी सारसोप, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर हाल मोहनपुरा, तहसील व जिला बून्दी।
2. मीरा पुत्री रामनारायण पत्नि दामोदर रेगर निवासी निवासी सारसोप, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर हाल रेगर मौहल्ला, शहर, सवाई माधोपुर, जिला सवाई माधोपुर।

—वादीगण

बनाम

1. छीतर लाल पुत्र आनन्दी लाल बैरवा निवासी सारसोप, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
2. वेणी प्रसाद पुत्र छीतरलाल बैरवा निवासी सारसोप, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
3. हीरालाल पुत्र छीतरलाल बैरवा निवासी निवासी सारसोप, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

—प्रतिवादीगण

उपस्थित::—

वकील वादीगण:—श्री हंसराज यादव, एडवोकेट

वकील प्रतिवादीगण:—एकपक्षीय कार्यवाही

निर्णय दिनांक:—19.01.2026

दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट

1. प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि—

- वादीगण की कब्जे काश्त एवं खातेदारी भूमि मुताबिक जमाबंदी संवत् 2073—76 के अनुसार खाता संख्या 742 में खसरा नंबर 3605 रकबा 2.00है0 किस्म बजंड वाके ग्राम सारसोप पटवार हल्का सारसोप तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर में स्थित है। जमाबनदी वाद पत्र के साथ संलग्न है।

- वादीगण अपनी उक्त भूमि को शान्तिपूर्वक तरीके से काश्त करती चली आ रही है। जमाबन्दी एवं खसरा गिरदावरी वाद पत्र के साथ संलग्न है।

- प्रतिवादीगण ने वादीयागण के विरुद्ध एक [illegible] गिरोह बना रखा है। प्रतिवादीगण घनबल व भुजबल से वादीयागण की [illegible] काश्त की आराजी पर जबरन अतिक्रमण कर कब्जा करना चाहते हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.30 12:33:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

- वादीयागण ने अपनी सम्पूर्ण भूमि के चारों और मिट्टी की डोल लगा रखी है। लेकिन प्रतिवादीगण वादीयागण की सम्पूर्ण भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहते है। जिसका उनको कोई अधिकार नहीं है।

- दिनांक 20.10.2024 को वादीयागण अपनी खातेदारी की भूमि को संभालने गयी तो वहा पर वादीयागण की भूमि पर जेसीबी मशीन से जगह जगह गड्ढे कर रखे थे व खेत के चारो और भूमि पर बनाई हुई कच्ची मेड़ को तोड रखा था व वादीयागण के खेत में अनाधिकृत प्रवेश कर ट्रेक्टर ट्रोली से मिट्टी उठा रखी थी। जब वादीयागण अपने खेत में खडी थी इसी समय प्रतिवादी गाली गलोच करता हुआ आया व कहा कि तुम इस खेत मे क्यो आई हो तुम्हे पहले भी मना कर चुका हूं कि इस खेत को मै जबरन कब्जा करूंगा व मैने ही तुम्हारे खेत में से मिट्टी उठाई है तुम्हे जो करना है कर लो व लाठी लेकर वादीयागण को मारने पर आमादा हो गये व जान से खतम करने की धमकी दी वादीयागण ने उक्त घटना की शिकायत पुलिस चौकी शिवाड पर की परन्तु प्रतिवादीगण प्रभावशाली होने व उचे रसूखात होने के कारण कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने दे रहे। इस कारण प्रतिवादीगण के होसले बुलंद है जो वादीयागण को हर तरह से नुकसान पहुंचाते रहते है।

- प्रतिवादीगण ने खसरा नम्बर 3605 रकबा 2.00 है० की वादीयागण की भूमि में जबरन मेड तोडकर एवं मिट्टी खुदवाकर अपने खेत में मिलाने पर आमादा है यदि प्रतिवादीगण को पाबंद नहीं किया गया तो वादीया को बेहद नुकसान होगा जिसकी वादियागण किसी भी तरह से क्षतिपूर्ति नही कर सकेगी।

- वादीयागण को अधिकार प्राप्त है कि वह प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करावे की वह वादीयागण की भूमि खसरा नम्बर 3605 वाके ग्राम सारसोप में किसी तरह की मानेमजामत नही करे एवं वादीयागण की भूमि में शान्तिपूर्ण कब्जे काश्त में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करें।

- दिनांक 20.00.2024 को प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी भूमि में अनाधिकृत प्रवेश कर मिट्टी खोदने व मेड तोडकर कब्जा करने की धमकी देने से वाद कारण उत्पन्न हुआ।

- वाद ग्रस्त कृषि भूमि ग्राम सारसोप तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर में स्थित होने से श्रीमान को उक्त वाद पत्र सुनने का पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.30 12:33:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

❖ वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का वाद पत्र निम्न प्रकार डिक्री फरमाये जावे

> ➢ प्रतिवादीगण को ता फैसला स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे की वाद पत्र के मद न. 2 में वर्णित वादीयागण की आराजीयात मुताबिक जामाबंदी सम्वत 2073 से 2076 के खाता संख्या 742 के खसरा नम्बर 3605 रकबा 2.00है० के उपयोग उपभोग में किसी तरह की माने मजामहत न स्वंय करे न दीगर व्यक्ति, नौकर ऐजेन्ट से करावे न ही काश्त करने में कोई व्यवधान करे न ही वादीयागण के खेत मे से अनाधिकृत प्रवेश करके मिट्टी उठावें।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा सत्यमेव जयते

2. प्रकरण न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने के कारण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस बनाम अप्रार्थीगण जारी किये जाकर अप्रार्थीगण को न्यायालय में तलब किया गया।

3. प्रतिवादीगण बावजूद तामील न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 28.05.2025 को उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। ण

4. वकील वादीगण ने साक्ष्य के समर्थन में निम्नानुसार मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये–

> ➪ __पी0डब्ल्यू0–1__ः– उर्मिला पुत्री रामनारायण पत्नि सुन्दरलाल रैगर निवासी सारसोप तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर हाल निवासी मोहनपुरा, तहसील इन्द्रगढ़, जिला बूंदी।
>
> ➪ __पी0डब्ल्यू0–2__ः– नूरदीन पुत्र जुम्मा खान, निवासी सारसोप, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर हाल निवासी कुतलपुरा जाटान, तहसील व जिला सवाई माधोपुर।
>
> ➪ __प्रदर्श–01__ः– स्थायी जमाबंदी दिनांक 12.08.2024 खसरा नंबर 3605 वाके ग्राम सारसोप, तहसील चौथ का बरवाड़ा।
>
> ➪ __प्रदर्श–02__ः– नक्शा ट्रेस ग्राम सारसोप, तहसील चौथ का बरवाड़ा खसरा नंबर 3605
>
> ➪ __प्रदर्श–03__ः– खसरा गिरदावरी ग्राम सारसोप संवत् 2080 खसरा नंबर 3605
>
> ➪ __प्रदर्श–04__ः– खसरा गिरदावरी ग्राम सारसोप संवत् 2081 खसरा नंबर 3605
>
> ➪ __प्रदर्श–05__ः– जमाबंदी संवत 2073–2076 खाता संख्या 600 वाके ग्राम सारसोप, तहसील चौथ का बरवाड़ा।
>
> ➪ __प्रदर्श–06__ः– नक्शा ट्रेस ग्राम सारसोप, तहसील चौथ का बरवाड़ा खसरा नंबर 3843

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.30 12:33:49 IST
Reason: SelfAttested

5. वादीगण के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों का दोहरान किया।

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

6. मैंने वादीगण के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

7. मुताबिक स्थायी जमाबंदी [illegible] 12.08.2024 खसरा नंबर 3605 वाके ग्राम सारसोप, तहसील चौथ [illegible] वादीगण ग्राम सारसोप, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपु[illegible] 2.00 है0 के रिकॉर्डेड खातेदार होने की पुष्टि होती है। खसरा गिरदावरी संवत् 2080 **(प्रदर्श–3)** व खसरा गिरदावरी संवत् 2081 **(प्रदर्श–4)** वादीगण द्वारा फसल काश्त किये जाने की पुष्टि होती है। प्रतिवादीगण द्वारा वादपत्र के संबंध में न तो किसी तरह का जवाब पेश किया है, न ही अपने समर्थन में कोई साक्ष्य पेश किया है। मेरी विनम्र राय में वादीगण विवादित आराजीयात खसरा नंबर 3605 रकबा वाके ग्राम सारसोप, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर से अपने कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न न करने हेतु प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकार रखती हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.30 12:33:49 IST
Reason: SelfAttested

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर मैं वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं।

–:आदेश:–

वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाता है एवं प्रतिवादीगणों को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे ग्राम सारसोप, तहसील चौथ का बरवाड़ा स्थित विवादित आराजीयात खसरा नंबर 3605 रकबा 2.00 है0 से वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार से बाधा उत्पन्न न करें एवं न ही मिट्टी उठायें। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो। फैसला आज दिनांक 19.01.2026 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (सवामा0)

वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

नाम न्यायालय **उपखण्ड अधिकारी** स्थान **चौथ का बरवाड़ा**

1. उर्मिला पुत्री रामनारायण पत्नि सुन्दरलाल रेगर निवासी सारसोप, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर हाल मोहनपुरा, तहसील व जिला बून्दी।
2. मीरा पुत्री रामनारायण पत्नि दामोदर रेगर निवासी निवासी सारसोप, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर हाल रेगर मौहल्ला, शहर, सवाई माधोपुर, जिला सवाई माधोपुर।

बनाम

1. छीतर लाल पुत्र आनन्दी लाल बैरवा निवासी सारसोप, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
2. वेणी प्रसाद पुत्र छीतरलाल बैरवा निवासी सारसोप, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
3. हीरालाल पुत्र छीतरलाल बैरवा निवासी निवासी सारसोप, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते चौथ का बरवाड़ा

नम्बर मुकदमा 60 सन् 2024

दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0 एक्ट

वादीगण की ओर से **श्री हसंराज यादव, एडवोकेट** एवं प्रतिवादीगण की ओर से **एकपक्षीय कार्यवाही** की उपस्थिति में इस वाद के आज ता0 19.01.2026 को **श्री जोगेन्द्र सिंह (आर.ए.एस) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री जारी की जाती है कि** प्रतिवादीगणों को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे ग्राम सारसोप, तहसील चौथ का बरवाड़ा स्थित विवादित आराजीयात खसरा नंबर 3605 रकबा 2.00 है0 से वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार से बाधा उत्पन्न न करें एवं न ही मिट्टी उठायें।पक्षकारान अपना अपना खर्चा स्वयं वहन करें।

इस वाद के खर्चे लेखें **X** रूपया की राशि आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर **X** प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित **X** द्वारा **X** को दी जाए। यह आज तारीख 19.01.2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

वाद के खर्च

	वादी	रूपया	पैसे	प्रतिवादी	रूपया	पैसें
1	वाद पत्र के लिए स्टाम्प	00	00	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	00	
2	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	00	00	अर्जी के लिए स्टाम्प	00	
3	प्रदेशा के लिए स्टाम्प रू0 पर	00	00	प्लीडर की फीस	00	
4	प्लीडर की फीस	00	00	साक्षियों के निर्वाह व्यय	00	
5	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	00	00	आदेशिका की तामील	00	
6	कमिश्नर की फीस	00	00	कमिश्नर की फीस	00	
7	आदेशिका की तामील	00	00			
	जोड	00	00	जोड	00	00

(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.30 12:33:49 IST
Reason: SelfAttested